

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

मैनुअल नं. 5/प्रा.पत्र/2025

22.01.2025

10.02.2025

(GCMS No. 2025 / 15)

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय, 2nd फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग,
सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने,
जयपुर (जरिये प्राधिकृत अधिकारी)

– प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्री रंगलाल आ. कजोड जाति गुर्जर,
पता– कांकरा डूंगरी, तुरकरी, ग्रा.पं. बडानयागांव,
पं.स. हिण्डोली, जिला बून्दी
2. श्रीमती नोसरबाई पत्नी रंगलाल जाति गुर्जर,
पता– कांकरा डूंगरी, तुरकरी, ग्रा.पं. बडानयागांव,
पं.स. हिण्डोली, जिला बून्दी

– अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री आनन्द सिंह नरुका एडवोकेट।

आदेश

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 2nd फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर में स्थित है, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिये लाईसेंस प्राप्त है, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.09.2022 को कुल रूपये 6,00,000/- का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति श्री रंगलाल पुत्र कजोड गुर्जर की सम्पत्ति मिसल सं. 136/2021-22, पट्टा सं. 1249, कांकराडूंगरी (तुरकरी), ग्रा.पं. बडानयागांव, पं.स. हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका



(Signature)

कुल क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त उक्त ऋण का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान के व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.09.2024 को अधिकारिता आरित NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अप्रार्थीगण के खाते में 2,64,249.93 /- बकाया रकम शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थीगण निम्नोदर है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 27.09.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित एवं साथ ही अंग्रेजी समाचार पत्र "INDIAN EXPRESS" व हिन्दी समाचार पत्र "राष्ट्रदूत" में भी दिनांक 19.10.2024 को नोटिस प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी / बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

इस संबंध में अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि उक्त अधिनियम की धारा 12 में दिनांक 16.08.16 को किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा-14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र दिनांक 27.09.2024 को प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र के सलन सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रतिभूत आरित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है। इस न्यायालय को केवल दो पहलुओं पर विचार करना होता है कि क्या प्रतिभूत आरित उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आती है, और क्या धारा 13(2) के अधीन सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में उक्त दोनों बिन्दुओं की पालना हो चुकी है। अतः उक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने बावत आदेश जारी किया जाना उचित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।



अभिभाषक
 27

अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी की/बंधककर्ता की बंधक आवासीय सम्पत्ति श्री रंगलाल पुत्र कजोड गुर्जर की सम्पत्ति भिसल सं. 136/2021-22, पट्टा सं. 1249, कांकराड़गरी (तुरकरी), ग्रा.पं. बडानयागांव, पं.स. हिरुडोली, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट है, (जिसकी चतुर्सीमाएं इस प्रकार हैं, पूर्व में- स्वयं की जगह, पश्चिम में- स्वयं की जगह एवं आम रास्ता, उत्तर में- बजरंगलाल का मकान, दक्षिण में- ओमप्रकाश का मकान), का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना इमदाद उपलब्ध करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस इमदाद के खर्च का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जाकर राशि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा करवायी जायेगी। प्रार्थी का प्राधिकृत प्रतिनिधि कब्जा लेने से पूर्व तारीख एवं समय नियत कर आदेश की सूचना अप्रार्थीगण को दें, ताकि वह अपना सामान हटा सकें। हस्तागत आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को हस्त कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को तौटया जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करावाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय शोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी